In the

Reserve Bank of India

Foreign Exchange Department

Ahmedabad-380009

भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

अहमदाबाद 380009

में उपस्थित/Present

अजय कुमार मिश्र /Ajay Kumar Misra

महा प्रबंधक/General Manager

दिनांक: 15 जून 2016/ June 15 , 2016

सेफा.सीओ सं: 5491/सी.ए.अह:58/2015-16

CEFA.CO.ID.5491/C.A.No. AHM- 58 /2015-16

प्रकरण

मे.अटलांटिक फूटकेर प्रा.लि. / M/s Atlantic Footcare Pvt. ltd.

516,सिद्धि विनायक टावर,कटारिया आर्केड के सामने,मकरबा, अहमदाबाद

516,Sidhhi Vinayak Tower Nr. Kataria Arcade, Makarba,Ahmedabad-380051

गुजरात/ Gujarat

(आवेदक) (Applicant)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 की धारा 15(1) तथा इसके अंतर्गत बनाए गयी विनियम/नियम/ अधिसूचना/आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं यह आदेश पारित करता हूँ :

In exercise of the powers conferred under Section 15(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Regulations /Rules/ Notifications / Orders made there under, I pass the following order:

आदेश Order

आवेदक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमों के अंतर्गत दिनांक 20 फ़रवरी , 2016 को कोम्पौडिंग हेतु आवेदन दिया है । आवेदक ने निम्नलिखित फेमा उल्लंघनों के कोम्पौडिंग का आवेदन दिया है: (i) आवेदक कंपनी में पूंजी निवेश के लिए विदेशी आवक निवेश की सूचना विदेशी सम्प्रेषण तिथि के 30 दिनों के बाद देना तथा (ii) भारतीय रिजर्व बैंक को इक्विटि शेयर के आवंटन के सूचना प्रारूप एफ़सीजीपीआर में आवंटन तिथि के 30 दिनों के बाद देना , (iii) निर्धारित अवधि के बाद शेयरों को जारी करने में विलंब(iv) रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना प्राप्त राशियो की तारीख से 180 दिनों की निर्धारित अवधि से परे अतिरिक्त राशि की वापसी में विलंब; यथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) **[इसके बाद विनियमावली 20 के रूप में संबोधित]** के अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9(1)(ए), 9(1)(बी) तथा पैराग्राफ 8 के प्रावधानों का उल्लंघन।

The applicant has filed compounding application dated February 20, 2016 for compounding of contraventions of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (the FEMA) and the regulations issued there under. The contraventions sought to be compounded are (i) delay in reporting receipt of foreign inward remittance towards subscription to equity (ii) delay in submission of Form FC-GPR to the Reserve Bank after issue of shares to a person resident outside India and (iii) delay in allotment of shares beyond stipulated period and (iv) delay in refund of excess amount after the stipulated 180 days without RBI's permission in terms of paragraphs 9(1)(A), 9(1)(B) and Paragraph 8 respectively, of Schedule 1 to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of

Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 notified, vide Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000 and as amended from time to time (hereinafter referred to as Notification No. FEMA 20/2000-RB).

2. प्रकरण के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:
आवेदक कंपनी अधिनियम,1956 के आधीन दिनांक 31 दिसम्बर 2013 को निगमित हुई तथा यह कंपनी फूटवेयर सोल के निर्माण इत्यादि की गतिविधियों में संलिप्त है। आवेदक कंपनी को विदेशी निवेशको द्वारा स्वचालित मार्ग के अंतर्गत चार आवक राशि र.72,35,837/- प्राप्त हुई तथा उन्हे निम्नानुसार भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किया गया ।

The relevant facts of the case are as follows: The applicant company was incorporated on December 31, 2013, under the provisions of the Companies Act, 1956 and is engaged in carrying on business of manufacturing of footwear soles The applicant company has received total four inflows amounting to Rs.72,35,837/- from Foreign investor under automatic route and reported the same to Reserve Bank of India as indicated below:

विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) - आवक विप्रेषण जिनकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी- उल्लंघन पाया गया

Para 9(1) (A) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000 – Contravention Detected:

(तालिका 1) (Table -1)

क्रम स: Sr No	विदेशी निवेशक Remitter	आवक तिथि Date of receipt	विदेशी निवेश (रु) Amount of foreign inward remittance (Rs)	कंपनी द्वारा बैंक को सूचना की तिथि Date of reporting to AD bank by company	एडी द्वारा रिजर्व बैंक को सूचना की तिथि Date of reporting by AD bank to RBI	30 दिन छोड़कर विलंब से सूचना भेजने के दिवसों की संख्या* Days delay excluding prescribed time of 30 days*
1	AF Group INC(USA)	17-02-2015	12,38,069	17-10-2015	05-01-2016	212
2	AF Group INC(USA)	09-04-2015	18,65,506	17-10-2015	05-01-2016	161
3	AF Group INC(USA)	06-05-2015	19,08,409	17-10-2015	05-01-2016	134
4	AF Group INC(USA)	21-07-2015	22,23,853	17-10-2015	05-01-2016	58
		Total	72,35,837			

* 9(1)(ए) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय आवक राशि को ए डी बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग की तिथि माना गया

*For calculation of days of delay under 9(1)(A) reporting to AD bank has been taken as reporting to RBI.

निवेशिती कंपनी ने कुल चार आवक राशि ₹72.35 लाख (₹72,35,837) की प्राप्ति की भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना दी । उक्त सभी आवक राशि प्रकरण की सूचना, जिनकी कुल राशि ₹72,35,837/-थी, वे 58 से 212 दिनों के विलंब से दी गयी । जबकि विनियमावली 20 के शैड्यूल 1 के पैरा 9(1)(ए) के प्रावधानों के अनुसार आवक राशि की सूचना आवक तिथि के 30 दिनों के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक को देनी होती है।

The applicant reported the receipt of four inward remittances, amounting to total of Rs.72.35 lakh (Rs.72,35,837/-) to the Ahmedabad Regional Office of the Reserve Bank of India. All the four inflows amounting Rs.72,35,837/-were reported with the delay ranging from 58 to 212 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares or convertible

debentures in accordance with these Regulations should report to the Reserve Bank of India as per the prescribed procedure not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration.

3. आवेदक ने इक्विटि शेयर आबंटित किए तथा निम्नानुसार एफ़सीजीपीआर फ़ाइल की ।

The applicant allotted equity shares and filed FC-GPRs as stated below:

विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 पैरा 9(1)(बी) - उल्लंघन पाया गया ।

Para 9(1) (B) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May3, 2000 –Contravention detected:

(तालिका 2) (Table -2)

क्र मां क Sr No	विदेशी निवेशक का नाम Name of the Foreign Investor	जारी किए शेयर की संख्या No of shares issued	शेयर की राशि Amount of shares (Rs)	शेयर जारी करने की तिथि Date of issue of shares	आवेदक द्वारा एडी बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि Date of submission of FC-GPR by company to AD	एडी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि Date of submission of FC-GPR by AD to RBI	30 दिन छोड़कर विलंब के दिनों की संख्या Days delay excluding prescribed time of 30 days
1	AF Group INC	7,00,000	70,00,000	07/10/2015	12/02/2016	17/02/2016	98 Days
		Grand Total					

* 9(1)(बी) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय आवक राशि को ए डी बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग की तिथि माना गया

∗For calculation of days of delay under 9(1)(B) reporting to AD bank has been taken as reporting to RBI.

4.उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आवेदक ने ₹70,00,000/- राशि का एक एफ़सीजीपीआर फ़ाइल किया। परंतु वह एफ़सीजीपीआर 98 दिनों के (3 महिना 9 दिनों) विलंब से 30 दिनों कि समय सीमा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को फ़ाइल किया । विनियमावली 20 के अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को एफ़सीजीपीआर विदेशी निवेशक को शेयर/ सीसीपीएस/ सीडीएस के आवंटन की तिथि के 30 दिनों के अंदर फ़ाइल करनी होती है ।

As indicated in the table above the applicant has filed one form FC-GPR amounting to Rs.70,00,000/-with the delay of 98 days beyond the prescribed timeline of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations has to submit to the Reserve Bank of India a report in form FC-GPR, along with documents prescribed therein, within 30 days from the date of issue of shares to the overseas investor.

विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 पैरा 8 - उल्लंघन पाया गया।

Contravention under Para 8 of Schedule I of FEMA notification 20/2000- RB dated May 3, 2000. Contravention detected.

The details of the contravention is tabulated below: (Table -3)

Delay in issue of Shares beyond 180 days						
क्रमांक Sr No.	**विदेशी निवेशक का नाम Investor**	**आवंटित शेयरो की संख्या No of Shares issued**	**आवक तिथि Date of receipt of remittance**	**आवक राशी Amount(Rs.)**	**शेयर जारी करने की तिथि Date of Allotment**	**180 दिन छोड़कर विलंब के दिनों की संख्या /Days delay excluding prescribed time of 180 days.**
1	AF Group INC.(USA)	7,00,000	17/02/2015	70,00,000	07/10/2015	52 Days
			Total	70,00,000		

हालांकि आवेदक कंपनी ने विदेशी निवेशक से कुल राशि प्राप्त रु 72,35,837/- मे से रु70,00,000/-के लिए शेयरों जारी किया है वे निर्धारित सीमा के 180 दिनों के बाद 52 दिनों (लगभग)1.7 महीनो के विलंब से किया गया।

इसके अलावा यह पाया है की भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति लिए बिना अप्रयुक्त प्राप्त राशि रु2,35,837/- प्रथम राशि प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों की निर्धारित अवधि से परे अतिरिक्त राशि की वापसी में विलंब हुआ। जबकि विनियमावली 20 के शैड्यूल 1 के पैरा 8 के प्रावधानों के अनुसार यदि शेयर 180 दिनों के अंदर आबंटित नहीं किए जा सके तो प्राप्त राशी को निवेशक को वापिस किया जाना होता है भारतीय रिजर्व बैंक पर्याय कारणों के होने पर, इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर, 180 दिनों के बाद भी राशि वापिस करने कि अनुमति दे सकता है । विनियमावली 20 के पैरा 8 के प्रावधानों में अधिसूचना संख्या फेमा 170/2007-आरबी दिनांक 13 नवम्बर 2007 से संशोधन किया गया जिसे भारत सरकार के आधिकारिक गज़ट में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त एपीडीआईआर 20 दिनांक दिसम्बर 14, 2007 के पैरा 5 के अनुसार जिन प्रकरण में 180 दिन बीत चुके हैं तथा शेयर जारी नहीं किए गए है उनमें कंपनी द्वारा एडी बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को, विस्तृत कारणों सहित, निश्चित समय सीमा के अंदर शेयर आबंटन /धन वापिस करने की योजना के साथ विशिष्ट अनुमोदन के लिए आवेदन अपेक्षित है। इस प्रकार कंपनी ने फेमा 20/ 2000 आरबी 3 मई, 2000 दिनांकित की अधिसूचना की अनुसूची 1 के पैरा 8 में निर्धारित किये हुए प्रावधानोंका उल्लंघन किया है उसकी उल्लंघन की राशि ₹70,00 000/-तथा ₹2,35,837/-.

It is observed that the shares were allotted on date indicated in above table -3 for the consideration amount of ₹70,00,000/-with the delay of 52 days beyond stipulated period of 180 days. Although the company has issued shares for Rs.70,00,000/- out of total consideration amount of Rs.72,35,837/- received. Excess Rs. 2,35,837/- were refunded with the

delay of 46 days beyond stipulated period of 180 days without Reserve Bank's permission. Whereas, in terms of Para 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, if the shares are not issued within 180 days from the date of receipt of the inward remittance, the amount of consideration so received shall be refunded to the person concerned, provided the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons permit to refund the amount of consideration received towards issue of security, if such amount is outstanding beyond a period of 180 days from the date of receipt. The amendment in paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB was introduced by issue of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2007 notified vide, Notification No. FEMA 170/2007-RB dated 13th November, 2007 in the official Gazette of the Government of India. Further in terms of paragraph 5 of AP(Dir series) Circular No.20 dated December 14, 2007, in all cases where, as on November 28, 2007, 180 days have elapsed since receipt of funds and the equity instruments have not been issued, the companies are required to approach the Foreign Exchange Department of the Regional Office concerned of the Reserve Bank through their AD Category-1 bank with a definite action plan weather for allotment of equity instruments or for refund of the advance, with full details, for specific approval. Thus the company stands to contravene the provisions stipulated in Paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000 .

5. आवेदक को हमारे पत्र संख्या एफ़ई.अह.3816 /01.07.06(B) 2015-16 दिनांक 07 जून 2016 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में व्यक्तिगत तौर से तथा साक्ष्यों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अवसर दिया गया । व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आवेदक की ओर से दिनांक 14 जून 2016 को आवेदक कंपनी के लिए श्री सौरभ शोधन,अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक

अधिकारी, अटलांटिक फूटकैर ,श्री मनीष शिंदे, प्रबंधक तथा श्री जितेंद्र दवे , लेखाकार ने प्रतिनिधित्व किया । आवेदक ने उपरोक्त उल्लंघनों को स्वीकार किया तथा उन परिस्थितियों की विवेचना की जिनके कारण प्रक्रियात्मक चूक होने से विलंब हुआ। एफडीआई कानून आदि के बारे में अज्ञानता, समन्वय और संचयी निर्णय लेने मे विफलता, आदि कारण था । जानबूझकर रिपोर्टिंग में देरी नहीं की गई थी तथा आवक विप्रेषण और FCGPRs मे देरी की माफ़ी के लिए अनुरोध किया। उन्होने अपराधों के उल्लंघनों के लिए माफ़ी के लिए अनुरोध किया । वे अपने आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी दिशा / आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं ।

The applicant was given an opportunity for personal hearing vide our letter FE.AH. No.3816/01.07.06(B) 2015-16 dated June 07,2016 for further submission in person and /or producing documents, if any, in support of the application. The applicant appeared for the personal hearing on June 14, 2016 during which Mr. Saurabh Shodhan, Director and CEO of Atlantic foot care, Shri Manish Shinde, Manager and Shri Jitendra Dave, Accountant, represented the applicant. They admitted to the contraventions for which compounding has been sought and stated that the delay was caused due to lack of knowledge on the part of the promoter about the reporting requirements under FEMA as they admitted that they were not aware of such mandatory requirements but had no wilful intention to avoid to timely filling of form Annexure-ii and FC-GPR and requested to consider it positively. They are willing to accept any direction/ order of the Compounding authority in connection with their compounding application.

6. आवेदक के प्रतिनिधियो द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त परिस्थितियो को देखते हुए आवेदन के निपटान में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। अतः कोम्पौंडिंग आवेदन पर आवेदन के साथ तथा उसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान

आवेदक द्वारा इस संदर्भ में किए गए अन्य दस्तावेजों और प्रस्तुतियो में दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

The representative of the applicant requested that in view of the foregoing, a lenient view may be taken in disposal of the application. The application for compounding is, therefore, being considered on the basis of the averments made in the application as well as other documents and submissions made in this context by the applicant during personal hearing and thereafter.

7. मैंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान और उसके बाद आवेदक द्वारा निवेदन एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेज़ों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। अतः मेरे निष्कर्ष के अनुसार आवेदक ने फेमा के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया है ।

I have given my careful consideration to the documents on record and submission made by the applicant during the personal hearing and thereafter. Accordingly, I hold that the applicant has contravened the following FEMA provisions issued in terms of:

अ) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9
(1) (ए) का उल्लंघन

इस आदेश के पैरा 2 में उल्लिखित विदेशी मुद्रा के सम्प्रेषण की तिथि के 30 दिनों के बाद आवक राशि का भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग यथा विनियमावली 20 की अनुसूची 1 के पैरा 9(1) (ए) का उल्लंघन । इस उल्लंघन के लिए कुल सम्प्रेषण राशि ₹72.35 लाख (₹72,35,837/-) में से उल्लंघन राशि ₹72,.35 लाख (₹72,35,837/-)ली गयी है तथा 30 दिन की अवधि के बाद विलंब की अवधि 58 से 212 दिनो की ली गयी है।

a) Paragraph 9(1)(A) of Schedule 1 to Notification No.FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000 due to delay in reporting of receipt of foreign inward remittances towards shares as detailed in paragraph 2 above. The contravention relates to ₹72.35 lakh(₹72,35,837/-) with delay ranging from 58 to 212 days beyond the stipulated time of 30 days.

ब) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 पैरा 9 (1)

(बी) का उल्लंघन

इस आदेश के पैरा 3 में उल्लिखित शेयर के आबटन की तिथि के 30 दिनों के बाद एफ़सीजीपीआर की भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग यथा विनियमावली 20 के अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) का उल्लंघन । इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹70.00 lakh (₹70,00,000/-)ली गयी है तथा विलंब की अवधि 98 दिनो की मानी गयी है ।

Paragraph 9(1)(B) of Schedule 1 of FEMA Notification FEMA 20/2000 – RB dated May 3, 2000 due to delay in submission of form FC-GPR, after issue of shares to persons resident outside India as detailed in paragraph 3 above. The amount involved is ₹ 70.00 lakh (₹70,00,000/-) and the delay is for 98 days approximately.

क) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 पैरा 8 का उल्लंघन

उपरोक्त पैराग्राफ अनुसार शेयर के आबटन मे निर्धारित 180 दिनो से अधिक दिनो का विलंब के कारण उल्लंघन । इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹70.00 lakh (₹70,00,000/-)ली गयी है तथा विलंब की अवधि 52 दिनो की मानी गयी है ।

Paragraph 8 of Schedule I of FEMA Notification FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000 due to delay in allotment of shares beyond stipulated period of 180 days from date of receipts detailed in paragraph above . The amount involved is ₹70.00 lakh (₹70,00,000/-) and the delay is for 52 days approximately.

ड) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई की अनुसूची 1 पैरा 8 का उल्लंघन

उपरोक्त पैराग्राफ अनुसार रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना प्राप्त राशियो की तारीख से 180 दिनों की निर्धारित अवधि से परे अतिरिक्त राशि की वापसी में विलंब के कारण उल्लंघन। इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹2.35 lakh (₹2,35,837/-)ली गयी है तथा विलंब की अवधि 46 दिनो की मानी गयी है ।

Paragraph 8 of Schedule I of FEMA NotificationFEMA20/2000- RB dated May 3, 2000 due to delay in refund of excess amount beyond stipulated period of 180 days from date of receipts without Reserve Bank's permission as detailed in paragraph above. The amount involved is ₹2.35 lakh (₹2,35,837/-) and the delay is for 46 days approximately.

8.फेमा की धारा 13 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर वह व्यक्ति उल्लंघन राशि की तीन गुना राशि तक के दंड का पत्र होगा । परंतु प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तथा परिस्थिजन्य उल्लंघन को मद्देनजर रखते हुए मैं उदार दृष्टिकोण अपनाने को बाध्य हूँ तथा इससे सहमत हूँ की रु.79,509/-(रु.उनासी हजार पाँच सौ नौ मात्र) का दंड न्याय के मानदंडो को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा ।

In terms of Section 13 of the FEMA, any person contravening any provision of the Act shall be liable to a penalty up to thrice the sum

involved in such contravention upon adjudication. However, taking into account the relevant facts and circumstances of the case as stated in the foregoing paragraphs, I am persuaded to take a lenient view on the amount for which the contraventions are to be compounded and I consider that an amount of ₹ 79,509/-(Rupees seventy nine thousand, five hundred, nine only) will meet the ends of justice.

9. तदनुसार, मैं ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों के आधार पर तथा आवेदक द्वारा यह मानने पर कि विनियमावली 20 के शैड्यूल 1 के पैरा 9 (1) (ए), 9 (1)(बी) और पैरा 8 का उल्लंघन हुआ है वह उल्लंघन कम्पाउण्ड करता हूँ बशर्ते कि आवेदक आदेश तिथि के 15 दिन के अंदर "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में, अहमदाबाद में देय रु.79,509/-(रु.उनासी हजार पाँच सौ नौ मात्र) की राशि का एक डिमांड ड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, ला-गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009 को जमा कराये। उपर्युक्त अवधि के भीतर कोम्पौंडिंग राशि जमा न करने कि स्थिति में, विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियमावली, 3 मई 2000 के नियम 10 लागू होंगे।

Accordingly, I compound the admitted contraventions, namely contravention of paragraph 9(1) (A), 9(1) (B) and paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 03, 2000, by the applicant, on the facts discussed above in terms of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 on payment of an amount of ₹ 79,509/-(Rupees seventy nine thousand, five hundred, nine only) which shall be deposited by the applicant with the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, La-Gajjar Chambers, Ashram Road, Ahmedabad – 380 009 by a demand draft drawn in favour of the “Reserve Bank of India” and payable at Ahmedabad within a period of 15 days from the date of this order. In case of failure to deposit the compounded amount within the above mentioned period, Rule 10 of the Foreign

Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 dated May 3, 2000 shall apply.

आवेदन तदनुसार निपटाया गया ।
The application is disposed of accordingly.

दिनांक 15 June,2016 को जारी
Dated the 15th day of June, 2016.

Sd/-

(अजय कुमार मिश्र /Ajay Kumar Misra)
महा प्रबन्धक/General Manager